राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(12)वित्त/आब/2019 जयपुर, दिनांकः 10/06/2025

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम, 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 24.02.2023 के अनुसार श्री आदराम, जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान) के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा दर्ज अपराध संख्या 352/16 विचाराधीन होने के कारण अन्तिम निर्णय के अध्यधीन श्री आदराम को रिक्ति वर्ष 2022–23 में उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा सील कवर की गयी थी।

श्री आदराम के विरूद्ध विचाराधीन उक्त अपराध संख्या 352/16 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अंतिम प्रतिवेदन, मा0 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्या–02, जयपुर में दिनांक 07.09.2020 को पेश किया गया। मा0 न्यायालय से अंतिम प्रतिवेदन स्वीकृत हो जाने तथा उक्त प्रकरण समाप्त हो जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 24.02.2023 के अनुसार श्री आदराम को वर्ष 2022–23 की रिक्ति में पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया तथा रिक्ति वर्ष 2022–23 में इन्हें उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री आदराम को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिनांक 01.04.2022 से देय होगा एवं वास्तविक लाभ इनके द्वारा उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। ।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारीगण।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव